मध्यप्रदेश शासन

स्कूल शिक्षा विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 19. 03. 2020

आदेश

क्रमांक 594/ 670/2020/ 20 -2 :: राज्य में लोक स्वास्थ्य एवं लोक हित में, नोवेल कोरोना वाइरस (COVID-19) व उससे जनित बीमारी के संक्रमण से बचाव हेतु एवं विद्यालयों में एक स्थान पर विद्यार्थियों के समूह में एकत्रित / उपस्थित होने के परिणामस्वरूप उक्त बीमारी के संभावित खतरे की रोकथाम करने के उद्देश्य से वर्तमान परिस्थितियों की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 13.03.2020 एवं निर्देश दिनांक 15.03.2020 को अधिक्रमित करते हुए राज्य शासन एतद् द्वारा निम्नानुसार नवीन दिशानिर्देश प्रसारित करता है:-

1. मध्यप्रदेश में संचालित समस्त शासकीय एवं निजी विद्यालयों में दिनांक **31 मार्च 2020** तक अवकाश रहेगा। उक्त अवकाश अवधि में मध्यप्रदेश के समस्त शासकीय विद्यालयों में समस्त शिक्षकीय एवं गैर शिक्षकीय स्टाफ विद्यालय में उपस्थित रहकर यथावत शासकीय/अकादमिक कार्य सम्पादित करेंगे । उक्त अवकाश अवधि में मध्यप्रदेश के समस्त निजी विद्यालय, शिक्षकीय एवं गैर शिक्षकीय स्टाफ की विद्यालय में उपस्थिति के सम्बन्ध में अपने स्तर पर स्वविवेक से समुचित निर्णय ले सकेंगे।
2. मध्यप्रदेश के शासकीय, अशासकीय एवं अशासकीय अनुदान प्राप्त समस्त विद्यालयों में दिनांक 20 मार्च, 2020 एवं उसके पश्चातवर्ती तिथियों में कक्षा 05वीं एवं कक्षा 08वीं में अध्ययनरत् विद्यार्थियों के लिए जिन विषयों की वार्षिक परीक्षाओं का आयोजन शेष है, उन विषयों की परीक्षा के आयोजन को एतद् द्वारा तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है।
3. कक्षा 05वीं एवं कक्षा 08वीं में अध्ययनरत् विद्यार्थियों की उपरोक्तानुसार जिन विषयों की वार्षिक परीक्षा का आयोजन दिनांक 19.03.2020 तक नही हो पाया है, उन विषयों के संबंध में शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 में वर्णित प्रावधानों का परिपालन करते हुए सुनिश्चित करें कि शैक्षणिक सत्र वर्ष 2019-20 के प्रारंभ से लेकर माह फरवरी, 2020 तक विद्यालय द्वारा इन विद्यार्थियों के लिए आयोजित मासिक एवं अर्द्धवार्षिक आंतरिक मूल्यांकन में प्राप्त उपलब्धियों के आधार पर विद्यार्थियों को समग्र ग्रेड प्रदान कर वार्षिक परीक्षाफल नियमानुसार घोषित किया जावे।
4. मध्यप्रदेश के शासकीय, अशासकीय एवं अशासकीय अनुदान प्राप्त समस्त विद्यालयों में दिनांक 20 मार्च, 2020 एवं उसके पश्चातवर्ती तिथियों में कक्षा 01 से कक्षा 04 तथा कक्षा 6वीं एवं 07वीं में अध्ययनरत् विद्यार्थियों के लिए जिन विषयों की वार्षिक परीक्षा का आयोजन दिनांक 19.03.2020 तक नही हो पाया है, उन विषयों के संबंध में वार्षिक परीक्षाओं का आयोजन एतद् द्वारा तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है। कक्षा 01 से कक्षा 04 तथा कक्षा 6वीं एवं 07वीं में अध्ययनरत् विद्यार्थियों की जिन विषयों की वार्षिक परीक्षा का आयोजन दिनांक 19.03.2020 तक नही हो पाया है, उन विषयों के संबंध में शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 में वर्णित प्रावधानों का परिपालन करते हुए सुनिश्चित करें कि शैक्षणिक सत्र 2019-20 के प्रारंभ से लेकर माह फरवरी, 2020 तक विद्यालय द्वारा इन विषयों में आयोजित मासिक एवं अर्द्धवार्षिक आंतरिक मूल्यांकन में प्राप्त उपलब्धियों के आधार पर विद्यार्थी का मूल्यांकन किया जाकर विद्यार्थियों को नियमानुसार अगली कक्षा में प्रोन्नत किया जावे।
5. जिन अशासकीय/अनुदान प्राप्त विद्यालयों में कक्षा 01 से कक्षा 08वीं तक की वार्षिक परीक्षाएं दिनांक **19.03.2020** अथवा उससे पूर्व सम्पन्न हो चुकी हैं, ऐसे विद्यालय तदनुसार अपने वार्षिक परीक्षाफल नियमानुसार घोषित कर सकेंगे।
6. मध्यप्रदेश के शासकीय, अशासकीय एवं अशासकीय अनुदान प्राप्त समस्त विद्यालयों में कक्षा 09वीं एवं कक्षा 11वीं में अध्ययनरत् विद्यार्थियों के लिए दिनांक **20.03.2020** से दिनांक **31.03.2020** तक का परीक्षा

कार्यक्रम वर्ष-2020 (जिसमें दिनांक 20 मार्च 2020 तथा दिनांक 31 मार्च 2020 को आयोजित परीक्षाएं भी सम्मिलित होगी) को तत्काल प्रभाव से स्थगित किया जाता है। इसी प्रकार कक्षा 09वीं एवं कक्षा 11वीं के विद्यार्थियों की वार्षिक परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य भी दिनांक 31 मार्च 2020 तक के लिए तत्काल प्रभाव से स्थगित किया जाता है।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होगा । आदेश में वर्णित उपरोक्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए । समस्त संबंधित सक्षम प्राधिकारी उपरोक्त दिशा निर्देशों के अनुक्रम मे समस्त अनुवर्ती कार्यवाहियां नियमानुसार तत्काल की जाना सुनिश्चित करे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(सुधीर कुमार कोचर) 19/03/2020
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग
भोपाल, दिनाक 19.03.2020

पृष्ठांकन क्रमांक 595/670 / 2020/20 -2

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल
2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जनजातीय कार्य विभाग/गृह विभाग/लोक स्वास्थ्य एव परिवार कल्याण विभाग/पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग/अनुसूचित जाति कल्याण विभाग/ वन विभाग/सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग श्रम विभाग खेल एवं युवक कल्याण विभाग/ महिला एवं बाल विकास विभाग
3. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी , स्कूल शिक्षा विभाग
4. अपर मुख्य सचिव(समन्वय), मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल
5. आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल
6. आयुक्त, जनसंपर्क म.प्र.
7. संचालक, राज्य शिक्षा केंद्र, मध्यप्रदेश, भोपाल
8. समस्त संभागायुक्त, मध्य प्रदेश
9. क्षेत्रीय निदेशक, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, भोपाल
10. सचिव, म.प्र. माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल
11. समस्त कलेक्टर्स, मध्यप्रदेश
12. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मध्यप्रदेश
13. संचालक, मध्यप्रदेश ओपन बोर्ड, भोपाल
14. निदेशक, महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान, भोपाल
15. सचिव,मध्यप्रदेश मदरसा बोर्ड, भोपाल
16. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण म.प्र.
17. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, मध्यप्रदेश
18. समस्त जिला परियोजना समन्वयक, जिला शिक्षा केन्द्र मप्र
19. समस्त सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, मध्यप्रदेश

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

20. आर्डर बुक।

19/03/2020
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग